भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 97-सेक (विशेष)200/28 नई दिल्ली, दि 18-6-97

स्थायी आदेश सं. 20

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आर पी एफ, सब भारतीय रेलें
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आर पी एस एफ, रेलवे बोर्ड

विषय : रेलवे सुरक्षा बल के लक्ष्य और उद्देश्य

प्रत्येक परिणाम अभिमुख और प्रगतिशील संगठन को अपने सामने सुपरिभाषित लक्ष्य रखना चाहिए ताकि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य की सबको जानकारी हो। यद्यपि रे.सु.ब. के कर्त्तव्यों का कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है लेकिन हमारे पास सुस्पष्ट रुप से परिभाषित उद्देश्य नहीं है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमने लक्ष्य और उद्देश्य तैयार किए हैं जिसकी एक प्रति, उसके हिंदी रुपान्तर के साथ संलग्न है।

2. रेलवे बोर्ड द्वारा केन्द्रीय रुप से लक्ष्यों को अंग्रेजी और हिंदी में मुद्रित कराया जा रहा है और प्रत्येक रेलवे को उसकी पर्याप्त संख्या में प्रतियां शीघ्र ही भेजी जाएंगी। इसका राज्य की प्रादेशिक भाषा में भी अनुवाद करा लिया जाए।

3. लक्ष्य को (अंग्रेजी/हिंदी और प्रादेशिक भाषा) में सब रे. सु.ब. चौकियों/बाहरी चौकियों, रे.सु.ब. सहायता बूथों और ए एस सी/डी एस सी/सी एस सी आदि के प्रवेश द्वारों के पास प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। इसे प्लेटफार्मों पर सब.रे.सु.ब. स्थापनाओं पर भी प्रदर्शित किया जाए ताकि यात्री इसे देख सके। जवानों को लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में बताया जाए जिन्हें प्राप्त किया जाना है।

ए.पी.दुराय
महानिदेशक/रे.सु.ब.

रे. सु. ब.
यशोलभस्व

रेलवे सुरक्षा बल

लक्ष्य

हम

- रेल संपत्ति और रेलवे को सौंपे गए माल की सुरक्षा और बचाव करेंगे।
- भारतीय रेलों पर यात्री जनता की संरक्षा और सुरक्षा में अभिवृद्धि का प्रयास करेंगे।

उद्देश्य

हम

- रेल संपत्ति की सुरक्षा करने में अपराधियों के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष जारी रखेंगे।
- गाड़ियों और रेल परिसरों से सब असामाजिक तत्वों को दूर करके यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा बेहतर बनाएंगे।
- भारतीय रेलों की कार्य कुशलता और छवि में सुधार लाने के लिए रेलों के अन्य विभागों के साथ सहयोग करेंगे।
- राजकीय रेलवे पुलिस/स्थानीय पुलिस और रेल प्रशासन के बीच कड़ी के रुप में काम करेंगे।
- इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध तकनीकों का प्रयोग करेंगे।